रजिस्टर्ड ए0 डी0

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002
ई–मेलः ro.ajmer@ibm.gov.in

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

सं0ः–राज/पाली –48/चूनापत्थर–06

दिनांक. 21/4/2016

प्रेषित मै निरमा लिमिटेड
निरमा हाउस, आश्रम रोड
अहमदाबाद 380009

विषयः राजस्थान राज्य के पाली जिले में स्थित आपकी सिनला चूनापत्थर खान क्षेत्रफल 49.71 हैक्टेयर **मे** खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (**संशोधित एमसीडीआर 2011**) के प्रावधानो का उल्लंघन

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का दिनांक 18.03.2016 को श्री चेतन प्रकाश, सहायक खनन भूविज्ञानी के द्वारा किये गये निरीक्षण में यह पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया हैं।

<u>नियम</u>	<u>उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा</u>
13(1)	(1) अनुमोदित खनन योजना के पैरा 4.(आई) के अनुसार वर्ष 2015–16 में खनिज एक्सपलोरेशन हेतु कुल 16 बोरहोल लगााए जाने थे लेकिन निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2015–16 खनिज एक्सपलोरेशन हेतु बोरहोल नहीं लगाए गये है। (2) अनुमोदित खनन योजना के पैरा 5.(ई) के अनुसार वर्ष 2015–16 में ओवरबर्डन 114712 वर्ग मीटर हटाया जाना प्रस्तावित था लेकिन निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2015–16 में अभी तक ओवरबर्डन केवल 7379 वर्ग मीटर ही हटाया गया है। जो कि प्रस्तावित से कम है। (3) अनुमोदित खनन योजना के पैरा 7 के अनुसार वर्ष 2015–16 में वेस्ट डम्प सी–पिलर के नजदीक डम्प करना था तथा पूर्व– पश्चिम दिशा की ओर इसका फैलाव करना था लेकिन निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि वेस्ट डम्प का फैलाव पूर्व– पश्चिम दिशा के अलावा दक्षिण दिशा की ओर भी किया गया है जो कि प्रस्तावित नहीं था। (4) अनुमोदित खनन योजना के पैरा 5.(एफ)(iv) के अनुसार वर्ष 2015–16 में प्लांटेशन ओ–पिलर के नजदीक लिज बाउण्ड्री पर करना था लेकिन निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि प्लांटेशन एल–पिलर के नजदीक किया गया है।
46	पूर्णकालिक भूवैज्ञानिक तथा खनि अभियंता एंव खान प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति करने की सूचना निर्धारित प्रपत्र–आई में प्रेषित नहीं की गई है।

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नही होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 13(2) के अंतर्गत
(क) खदान की सारी संकियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(एच सी शर्मा)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :–
1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
2) खनि अभियन्ता, ,खान एवं भूविज्ञान विभाग, सोजत सीटी को सूचनार्थ प्रेषित।

(एच सी शर्मा)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो